

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'नौ'

परिशिष्ट - 01

[8/12/2016]

परिशिष्ट -01


प्रश्न सं. [क. 365]


(विधानसभा तारांकित प्रश्न क. 365 द्वारा (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी)

जिला- खरगोन

तहसील बडवाह/सनावद क्षेत्र में - रेत की घोषित खदानों की सूची:

क	खदान का नाम	खनिज	सर्वे नं.	रकबा (एकड़/हेक्टर में)
1	नलवा	काली रेत	123	0.435 हे.
2	बडूद	काली रेत	560	1.05 ए.
3	बडवाह	काली रेत	314	0.40 हे.
4	रुपाबेडी	काली रेत	15	1.617 हे.
5	टोकी	काली रेत	79	1.983 हे.
6	रहाटकोट	काली रेत	228	8.00 ए.
7	रामकुल्ला	काली रेत	135	2.023 हे.
8	भौमवाडा	काली रेत	31	3.00 ए.
9	मेहगांव	काली रेत	1	2.00 ए.
10	पातलीमाल	काली रेत	44	2.00 ए.


अनुमति अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग



जिला- खरगोन

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 365 द्वारा (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी)


:: बडवाह/सनावद क्षेत्र में नीलाम खदानों की जानकारी ::

अनु. क.	ठेकेदार का नाम	खदान का नाम	निलामी का दिनांक	वार्षिक ठेका धन
1	घन्श्याम पिता तुलसीराम नि. रूपाबैडी	बडवाह	17.3.2011	22,000/-
2	घन्श्याम पिता तुलसीराम नि. रूपाबैडी	रूपाबैडी	17.3.2011	32,000/-
3	घन्श्याम पिता तुलसीराम नि. रूपाबैडी	टोकी	17.3.2011	37,000/-
4	याकुब खान नि. रहाडकोट	रहाडकोट	17.3.2011	50,000/-
5	घन्श्याम पिता तुलसीराम नि. रूपाबैडी	रामकुल्ला	17.3.2011	14,000/-
6	अमित गहेशकुमार भावसार नि. खरगोन	पातलीमाल	21.3.2012	2,25,000/-
7	रामसिंह गुलाबसिंह तोमर नि. बितनेरा	भौमवाडा	21.3.2012	18,000/-
8	अमित पिता कमलकुमार जैन नि. खरगोन	मेहगांव	21.3.2012	1,59,000/-

नोट :-

- अनु. क्र. 1 से 5 तक नीलाम खदान की अवधी 02 वर्ष के लिए थी जिसकी अवधी समाप्त हो चुकी है ।
- अनु. क्र. 6 से 8 की नीलाम खदानों को पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण अनुबंध निष्पादन नहीं हो सका इस कारण खदानें संचालित नहीं हो सकी ।
- वर्ष 2013-14 में म0प्र0 शासन , खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र एफ19-18/2013/12-12, भोपाल दिनांक 16.07.2014 अनुसार भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना दिनांक 09.09.2013 अनुसार 05 हे. से कम की गौण खनिज खदानों में सिया कार्यालय से पर्यावरण अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होने से निलामी नहीं हो सकी ।
- वर्ष 2015 में म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र-एफ 19-21/2014/12/1, भोपाल दिनांक 01.01.2015 से रेत खदानों का संचालन मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से करवाये जाने के निर्देश होने से जिले की काली रेत खदाने निगम को हस्तांतरित कर दी गई है। अब उन खदानों की नीलामी निगम के माध्यम से शासन द्वारा की जा रही है।

अबुमहमद अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग


खनिज अधिकारी
वारसे-कलेक्टर
जिला-खरगोन (म0प्र0)